रमेश सांका

बनाम

भारत संघ और अन्य

(2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 142)

25 जनवरी, 2019

[न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी]

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी नंबर 12 - एक लिमिटेड कंपनी ने कई अधिनियमों / नियमों / विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कई कंपनियों, फर्मों और व्यक्तियों के साथ अपने व्यापार और वित्तीय लेनदेन में कई वित्तीय अनियमितताएं कीं - प्रतिवादी नंबर 12 ने तर्क दिया कि रिट याचिकाकर्ता उसका पूर्व कर्मचारी था और वह याचिका धूमिल करने के इरादे से दायर की गई थी। प्रतिवादी संख्या 12 की छवि, क्योंकि उनके बीच कुछ सिविल मुकदमे लंबित थे - आयोजित: इस मामले में, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 12-कंपनी के लिए व्यक्तिगत रूप से किसी भी राहत का दावा नहीं किया है - अन्यथा भी, अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका किसी भी सेवा शर्तों या किसी अन्य समझौते से बहने वाले अपने किसी भी संविदात्मक व्यक्तिगत अधिकारों के संबंध में किसी भी व्यक्तिगत शिकायत को उत्तेजित करने का उपाय नहीं है - यदि रिट याचिकाकर्ता को उसके संबंध में कोई व्यक्तिगत शिकायत है। संविदात्मक व्यक्तिगत अधिकार, याचिकाकर्ता के लिए कानूनी उपाय प्रतिवादी संख्या 12-कंपनी या उनके माध्यम से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अपने अधिकारों के अधिनिर्णय और प्रवर्तन के लिए सिविल मुकदमा दायर करने या किसी अन्य नागरिक कानून उपाय का सहारा लेने में निहित है - क्योंकि, पार्टियां पहले से ही सिविल कोर्ट में एक-दूसरे के खिलाफ अपनी शिकायतों पर मुकदमा चला रही थीं। उन्हें कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।

रिट याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा:

1. शुरुआत में, रिट याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 12 - कंपनी के लिए व्यक्तिगत रूप से किसी भी राहत का दावा नहीं किया है। अन्यथा, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी कर्मचारी या नियोक्ता के कहने पर कर्मचारी और उसके नियोक्ता के बीच किसी भी व्यक्तिगत संविदात्मक अधिकारों के प्रवर्तन का दावा करने के लिए कोई रिट नहीं है। [पैरा 16] [430-ए-बी]

2. यदि रिट याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 12 - कंपनी के साथ किसी भी सेवा शर्तों या किसी अन्य समझौते से बहने वाले अपने किसी भी संविदात्मक व्यक्तिगत अधिकारों के संबंध में कोई व्यक्तिगत शिकायत है, तो उसका कानूनी उपाय सिविल मुकदमा दायर करने या प्रतिवादी नंबर 12 - कंपनी या उनके माध्यम से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए किसी अन्य नागरिक कानून उपाय का सहारा लेने में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका ऐसी किसी भी शिकायत को उठाने का उपाय नहीं है। [पैरा 17] [430-B-C]

3. यह विवाद में नहीं है कि पार्टियां पहले से ही एक-दूसरे के खिलाफ अपने संबंधित सिविल मुकदमों में सिविल कोर्ट में एक-दूसरे के खिलाफ अपनी शिकायतों पर मुकदमा चला रही हैं। यदि यह स्थिति है, तो उन्हें एक-दूसरे के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। [पैरा 18] [430-डी]

4. जहां तक विभिन्न आवेदकों द्वारा अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक शिकायतों के संबंध में प्रतिवादी संख्या 12 - कंपनी के संबंध में विभिन्न राहतों का दावा करने के लिए दायर आईएएस का संबंध है, ऐसे सभी आवेदकों को प्रतिवादी संख्या 12 - कंपनी के समक्ष कानून के अनुसार उचित न्यायिक फोरम के समक्ष अपने अधिकारों के निर्णय के लिए व्यक्तिगत रूप से या अलग-अलग अपनी शिकायतें उठाने की स्वतंत्रता होगी। [पैरा 23, 24] [431-A-C]

उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफल और अन्य (2010) 3 एससीसी 402: [2010] 1 एससीआर 678;

केडी शर्मा बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य (2008) 12 एससीसी 481: [2008] 10 एससीआर 454;

अरुण कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ और अन्य (2014) 2 एससीसी 609: [2014] 3 एससीआर 861 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

[2010] 1 एससीआर 678 पैरा 15 को संदर्भित करता है।

[2008] 10 एससीआर 454 पैरा 15 को संदर्भित करता है।

[2014] 3 एससीआर 861 पैरा 15 को संदर्भित करता है।

आपराधिक मूल अधिकार क्षेत्र: 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 142

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

तुषार मेहता, महान्यायाभिकर्ता, अनिल ग्रोवर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, विकास सिंह, संजय हेगड़े, श्याम दीवान, संदीप सेठी, निधेश गुप्ता, एस.के. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री चंचल चौहान, डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, राजेश कुमार चौरसिया, सुधीर कठपालिया, अनिल शर्मा, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, अंकुर सहगल, समीर चौधरी, अंशुमन श्रीवास्तव, सुश्री श्रुति गर्ग, ई.सी. अग्रवाल, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, पी.के. डे, टी.ए. खान, सुश्री सुहासिनी सेन, बी. वी. बलराम दास, बी. कृष्णा प्रसाद, आशीष भान, मोहित रोहतगी, आयुष मित्रुका, बांके बिहारी शर्मा, सुश्री ऋचा नारंग, हितेश मानकर, अरविंद कुमार शर्मा, श्रीमती अनिल कटियार, आलोक सांगवान, सनी कादियान, डॉ. मोनिका गुसाईं, सुश्री तेजस्विनी चन्द्रशेखर, सिद्धार्थ बत्रा, रविंदर कुमार, विश्वजीत अरोड़ा, सुश्री गरिमा सहगल, विरिती गुजराल, सुश्री जसप्रीत कौर, सुश्री पल्लवी सिंह, उपस्थित पक्षकारों के वकील थे।

अदालत का फैसला न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने सुनाया।

1. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत श्री रमेश सांका द्वारा दायर की गई है, जिसमें रिट ऑफ मैंडमस या कोई अन्य रिट या निर्देश जारी करने की मांग की गई है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 23 (सीबीआई) को पूरे मामले की जांच करने और कानून के अनुसार प्रतिवादी संख्या 12 से 22 के खिलाफ रिट

याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। रिट याचिका के खंड (बी) से (डी) में दावा की गई अन्य राहत मुख्य राहत के लिए परिणामी हैं।

2. संक्षेप में कहा गया है, याचिकाकर्ता निम्नलिखित तथ्यों पर उपरोक्त राहत चाहता है।

3. याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 12 - एक लिमिटेड कंपनी का पूर्व कर्मचारी है। उन्होंने जून 2014 से 31 दिसंबर 2016 तक उक्त कंपनी के सीईओ के रूप में काम किया।

4. संक्षेप में, रिट याचिकाकर्ता की शिकायत प्रतिवादी संख्या 12 के खिलाफ है। उन्होंने प्रतिवादी संख्या 12 - कंपनी के अपने व्यवसाय और वित्तीय संचालन / लेनदेन को पूरा करने के तरीके और कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला है।

5. उनकी शिकायत उन व्यक्तियों के खिलाफ भी है जो प्रतिवादी संख्या 12 - कंपनी के मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं और उन कंपनियों, व्यक्तियों और फर्मों के खिलाफ भी जिनके साथ प्रतिवादी नंबर 12 - कंपनी का अपना व्यवसाय और वित्तीय लेनदेन / संचालन है यानी (प्रतिवादी संख्या 13 से 22, 24 और 25)।

6. रिट याचिकाकर्ता, प्रतिवादी संख्या 12 के अनुसार- कंपनी ने अपने निदेशकों और कर्मचारियों के माध्यम से कई कंपनियों, फर्मों और व्यक्तियों के साथ अपने व्यवसाय और वित्तीय व्यवहार में कई वित्तीय अनियमितताएं की हैं, जिनके पास भारत और विदेशों में कई अधिनियमों / नियमों / विनियमों के प्रावधानों के विपरीत और उल्लंघन में अपने कार्य स्थल हैं, जो रिट याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न वैधानिक को कई शिकायतें / अभ्यावेदन भेजे जाने के बावजूद ध्यान नहीं दिया गया है। इस संबंध में अधिकारी।

7. रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 12 - कंपनी के ऐसे सभी लेन-देन/गतिविधियां, जिन्हें उन्होंने रिट याचिका में उजागर किया है, ने न केवल सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इन गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को अधिनियमों के तहत दंडनीय कई संज्ञेय अपराधों के लिए अभियोजन का सामना करने के लिए उत्तरदायी बनाया है।

8. यह अनिवार्य रूप से इन पृष्ठभूमि तथ्यों के साथ है; रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रथम दृष्टया यह दिखाने के लिए कुछ दस्तावेज भी दायर किए हैं कि उनकी रिट याचिका में उनके द्वारा किया गया अनुरोध विचार योग्य है।

9. 11.07.2018 को, इस न्यायालय ने इस रिट याचिका का नोटिस जारी किया, जिसमें इसे आधिकारिक प्रतिवादियों अर्थात् प्रतिवादी संख्या 7 से 11 तक सीमित कर दिया गया। इन प्रतिवादियों ने सीलबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है। एक अधिकारी-प्रतिवादी ने हलफनामा दायर किया है।

10. प्रतिवादी संख्या 12 - हालांकि, कंपनी ने इस बीच स्वत: संज्ञान लिया और 2018 का आवेदन संख्या 104447 दायर किया, जिसमें कानूनी और तथ्यात्मक आधार पर रिट याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

11. संक्षेप में, प्रतिवादी संख्या 12 - कंपनी के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर खारिज की जानी चाहिए कि यह एक प्रामाणिक याचिका नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि यह रिट याचिका प्रतिवादी नंबर 12 के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा दायर की गई है - कंपनी अपने व्यक्तिगत मुद्दों और प्रतिवादी नंबर 12 - कंपनी के मतभेदों को दूर करने

के लिए, जिसके लिए सिविल कोर्ट में पार्टियों के बीच कुछ सिविल मुकदमे लंबित हैं: कि रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में कई भौतिक तथ्यों को दबा दिया है, जिसमें उनके बीच सिविल सूट के लंबित होने का तथ्य भी शामिल है: रिट याचिका केवल बाजार में प्रतिवादी नंबर 12 - कंपनी की छवि को धूमिल करने के लिए दूसरों के इशारे पर एक गुप्त उद्देश्य से दायर की गई है: कि रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं के भारत के संविधान के तहत नागरिकों को गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन / उल्लंघन का कोई मुद्दा शामिल नहीं है। प्रतिवादी संख्या 12- कंपनी ने रिट याचिकाकर्ता द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए ऐसे सभी आरोपों को निराधार बताया है।

12. रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में किए गए कथनों पर भरोसा करके उपरोक्त आईए में किए गए कथनों का विरोध किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी नंबर 12 - कंपनी द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार भौतिक तथ्यों को कोई छिपाया नहीं गया है।

13. इस बीच कई व्यक्तियों/संगठनों ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आवेदन संख्या 3739/2018, 176284-85/2018, डी.न.110020/2018, 160094/2018, 171501/2018, 160094/2018, 163098/2018, डी.न. 175943-47/2018, 144019/2018, 81895/2018, 165472/2018, 163874/2018, 157884/2018, 115735/2018 and 2974/2019, प्रतिवादी संख्या 12 - कंपनी के साथ स्वतंत्र लेन-देन का दावा किया गया था और जो उनके अनुसार आज तक फलीभूत नहीं हुआ है और प्रतिवादी नंबर 12 - कंपनी द्वारा उन्हें दिया गया है, जैसा कि सहमति हुई थी।

14. हमने अपने मामले के समर्थन में पक्षकारों के सभी विद्वान वकीलों को सुना है।

15. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने और उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफल और अन्य [2010 (3) एससीसी 402], केडी शर्मा बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य [2008 (12) एससीसी 481 और अंत में अरुण कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ और अन्य [2014 (2) एससीसीसी 609] में रिपोर्ट किए गए मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए। हम इस रिट याचिका में कोई राहत देने के इच्छुक नहीं हैं।

16. प्रारंभ में, हम पाते हैं कि रिट याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 12-कंपनी के लिए व्यक्तिगत रूप से किसी भी राहत का दावा नहीं किया है। अन्यथा, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी कर्मचारी या नियोक्ता के कहने पर कर्मचारी और उसके नियोक्ता के बीच किसी भी व्यक्तिगत संविदात्मक अधिकारों के प्रवर्तन का दावा करने के लिए कोई रिट नहीं है।

17. यदि रिट याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 12 - कंपनी के साथ किसी भी सेवा शर्तों या किसी अन्य समझौते से बहने वाले अपने किसी भी संविदात्मक व्यक्तिगत अधिकारों के संबंध में कोई व्यक्तिगत शिकायत है, तो उसका कानूनी उपाय सिविल मुकदमा दायर करने या प्रतिवादी नंबर 12 - कंपनी या उनके माध्यम से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के अधिनिर्णय और प्रवर्तन के लिए किसी अन्य नागरिक कानून का सहारा लेने में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका ऐसी किसी भी शिकायत को उठाने का उपाय नहीं है।

18. यह विवाद में नहीं है कि पक्षकार पहले से ही एक-दूसरे के खिलाफ अपने संबंधित सिविल मुकदमों में सिविल कोर्ट में एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा चला रहे हैं। यदि यह स्थिति है, तो उन्हें एक-दूसरे के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।

19. जहां तक रिट याचिकाकर्ता द्वारा अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ सुप्रा निर्धारित अन्य शिकायतों को उठाने का संबंध है, यह कहने के लिए पर्याप्त है, इस न्यायालय ने 11.07.2018 के आदेश द्वारा आधिकारिक प्रतिवादियों संख्या 7 से 11 को नोटिस जारी किया था। जारी किए गए नोटिस के अनुसरण में इन प्रतिवादियों ने जांच के संबंध में अपनी संबंधित स्थिति रिपोर्ट दायर की है, जो उनके द्वारा उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में की जा रही है। हमने उसी का अवलोकन किया है।

20. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विभिन्न अधिनियमों के तहत अपने विशेष अधिकार क्षेत्र में संबंधित आधिकारिक प्रतिवादियों द्वारा जांच पूरी होने के बाद जांच के परिणाम के आधार पर, कानून में प्रदान की गई उचित कार्रवाई उन सभी के खिलाफ की जाएगी जो दोषी पाए जाते हैं।

21. अलग होने से पहले, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इस रिट याचिका में और संबंधित आईएएस में एक दूसरे के खिलाफ सभी पक्षों द्वारा कथित और अस्वीकार किए गए कई तथ्यात्मक मुद्दों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

22. इसलिए, यह आदेश किसी भी मुद्दे से निपटने के दौरान किसी भी प्राधिकरण या न्यायालय या चल रही जांच या कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा। इस आदेश से प्रभावित हुए बिना ही इससे निपटा जाना चाहिए।

23. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, कई अंतर्वर्ती आवेदनों पर विचार करना आवश्यक नहीं है, जिनकी संख्या है - 3739/2018, 176284-85/2018, D.No.110020/2018, 160094/2018, 171501/2018, 160094/2018, 163098/ 2018, D. No.175943-47/2018, 144019/2018, 81895/2018, 165472/2018, 163874/2018, 157884/2018, 115735/2018 and 2974/2019, विभिन्न आवेदकों द्वारा अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक शिकायतों के संबंध में प्रतिवादी संख्या 12-कंपनी के लिए विभिन्न राहतों का दावा करने के लिए दायर किया गया।

24. ऐसे सभी आवेदकों को प्रतिवादी संख्या 12 के समक्ष अपनी शिकायतें उठाने की स्वतंत्रता होगी - कंपनी चाहे व्यक्तिगत रूप से या अलग-अलग कानून के अनुसार एक उपयुक्त न्यायिक मंच के समक्ष अपने अधिकारों के निर्णय के लिए।

25. इन टिप्पणियों के साथ, हमें इस रिट याचिका में कोई दम नहीं मिलता है, जो विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

याचिका खारिज।

इला देओल, एडवोकेट